

भारंक (Weightage Marks)

अतिरिक्त अंक (अधिकतम् 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

स्नातक कक्षायें

- (क) 1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
- (क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
 - (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
 - (ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
 - (घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।
2. एन0सी0सी0 “सी” सर्टाफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक
अथवा
एन0सी0सी0 “बी” सर्टाफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक
अथवा
एन0सी0सी0 केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में 3 अंक
भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इंटरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।
- (ख) 1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्वित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक

नोट:-

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था। इस आशय का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त कमीशन्ड या नान कमीशन्ड रैंक के केवल पति-पत्नी पुत्र-पुत्री (अविवाहित)। 10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) में कार्य करते हुये शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। 17 अंक

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
- 2- प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।